



2026:AHC:16390

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19736 वर्ष 2025

कल्पना सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: पंकज गोस्वामी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायामूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गोस्वामी और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय तथा प्रतिपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनके पति रेलवे सुरक्षा बल में सिपाही थे, जिनका 27.10.2023 को निधन हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ लाभ, जैसे कि मौद्रिक लाभ और मृत्यु लाभ, उन्हें नहीं दिए गए हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. श्री राहुल मालविया, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से पेश हुए, और श्री पी.के. श्रीवास्तव, प्रतिपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रतिपक्षी, पुलिस आयुक्त, आगरा आयुक्त (शहर), आगरा द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. प्रतिपक्षी की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिपक्षी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर करेगा। यदि द्वितीय प्रतिपक्षी का मत है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)